मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- फ़रीदाबाद पुलिस के पिटने का सिलसिला जारी, अब की थाना सदर की बारी 3
- भगत सिंह युवाओं के प्रेरणास्रोत तब भी थे और आज भी 4
- देसी दारू हो गई है भाजपा, फटाफट चढ़ती है, सटासट उतरती है 5
- ईएसआईसी के डीजी राजकुमार का ऐतिहासिक निर्णय 8

वर्ष 31 अंक -12 फ़रीदाबाद 18-24 मार्च 2018 फ़ोन : - 9999595632 ₹ 2

45 वर्षों बाद भी मंजूरशुदा कॉलोनी के नसीब में सरकारी महकमों के ब्लैकमेल से मुक्ति नहीं

सरकारी लूट तंत्र के शिकार बनते चले आ रहे हैं सैनिक कॉलोनीवासी

फ़रीदाबाद (म. मो.) सन 1973 में गठन सरकारी लूट तंत्र का शिकार चल रही कॉलोनी की दास्तान में कोई विराम नहीं। भूतपूर्व सैनिकों व सरकारी कर्मचारियों द्वारा गठित सहकारी समिति द्वारा अपने रहने के लिये घर बनाने हेतु कुल 127 एकड़ ज़मीन किसानों से खरीदी थी। इसमें से 109 एकड़ ज़मीन नवादा कोह व 18 एकड़ बड़खल गांव की थी।

सोसायटी को भूखंड सैनिक कॉलोनी के नाम से विकसित करके अपने सदस्यों के बीच प्लॉटों के रूप में बांटने के लिये सरकार ने जो बाधायें प्रस्तुत की उन्हें पार करते-करते इतना समय लग गया कि अनेकों सदस्य दुनिया छोड़ गये तो कइयों ने अपनी सदस्यता ही बेच कर जान छुड़ाई। आज हालत यह है कि इस कॉलोनी में बसने वालों में कोई विरले ही होंगे जो इसके प्रारम्भिक सदस्य हैं।

सरकार के विभिन्न विभागों-टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग, हूडा, नगर निगम, बिजली वालों से लड़ते-लड़ते जैसे-तैसे सोसायटी ने अपने 109 एकड़ के भूखंड को विकसित किया। तमाम अन्दरूनी सड़कें, सीवर लाइन, पार्क, बिजली के खंबे, तार व ट्रांसफ़ार्मर आदि की व्यावस्था की पानी के लिये अपनी गहरे ट्रयूबवैल लगाये जो भूजल स्तर गिरने से फ़ेल भी हो गये। इतना सब के बाद ईडीसी के तौर पर 3 करोड़ 2 लाख 1992-93 में व टीवी स्कीम एक व तीन की ईडीसी के तौर पर 7 करोड़ रुपये नगर निगम को दिये।

बदले में निगम ने सोसायटी को कुछ नहीं दिया। सोसायटी को अपनी भीतरी सीवर लाइन को नगर निगम की मुख्य सीवर लाइन से मिलाने के लिये ईएसआई (अस्पताल) चौक तक 2 किलोमीटर लम्बी व गहरी लाइन खुद बनानी पड़ी

जिस पर सोसायटी ने खर्च किया 32 लाख और नगर निगम ने अलग से वसूले साढे 18 लाख।

इस सबके बावजूद नगर निगम ने सोसायटी के साथ लगते अरावली बिहार की सीवर लाइन भी सोसायटी की सीवर लाइन में जोड़ दी। यह अरावली बिहार नगर निगम ने खुद 'विकसित' करके प्लॉट बेचे थे। विकास के नाम पर निगम ने इसमें कुछ नहीं किया, सैनिक सोसायटी के विकास का ही लाभ अपने इस विहार को दे रहा है नगर निगम। इसके चलते सोसायटी की सीवर लाइन हमेशा चोक (बन्द) ही रहती है। अरावली बिहार चूंकि ऊंचाई पर स्थित है इसलिये उनका सीवर तो आसानी से बहकर नीचे आ जाता है

राकेश धुन्ना, सोसायटी प्रधान : चैन कब नसीब होगा!

जिसे भुगतना पड़ता है सैनिक सोसायटी निवासियों को।

सोसायटी के अपने ट्यूबवैल क्योंकि फ़ेल हो गये इसलिये पेयजल भी नगर निगम से 4 रुपये प्रति एक हज़ार लीटर की दर पर खरीदना पड़ता है। निगम पेयजल को सोसायटी के भूमिगत टैंक में डालता है जिसे सोसायटी बुस्टर पम्पों द्वारा घरों में भेजती है। सोसायटी के ही खर्चे से बने ऐसे ही एक टैंक से निगम अपने अरावली बिहार को मुफ़्त पानी सप्लाई करता आ रहा है।

इस सरकारी लूट तंत्र में बिजली विभाग भला क्यों पीछे रहने लगा। इसने भी घरों को कनेक्शन देने के बदले 50 हज़ार प्रति कनेक्शन की मांग रख दी। मामला कोर्ट में गया तो वहां भी विभाग की मांग को इस आधार पर मान लिया गया कि विभाग को विश्व बैंक ने बिजली विभाग को आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु जो कर्ज दे रखा है उसकी वसूली इसी तरह से की जानी है। है न कमाल की बात, विश्व बैंक से कर्ज लेकर घी तो पीयें राजनेता व बिजली अधिकारी और भुगतान करें बिजली उपभोक्ता, खासतौर पर सैनिक सोसायटी के। गौरतलब है कि बिजली विभाग की कुल डिमांड 3.99 करोड़ की थी जिसके बदले सोसायटी ने 4.27 करोड़ जमा करा दिये, फ़ालतू गयी रकम न तो रिफंड हुई न बिलों में समाहित हुई।

लाइसेंस फ़ीस का तमाशा

सोसायटी ने सरकार से जो कॉलोनाइजेशन का लाइसेंस ले रखा है, उसके नवीकरण की फ़ीस भी हर साल देनी पड़ती है। एक दौर आया जब सोसायटी ने यह फ़ीस भरनी बंद कर दी थी क्योंकि सोसायटी ने भी सरकार से कुछ मुआवज़े लेने थे। इसकी आड़ में कंट्री एंड टाऊन प्लानिंग विभाग ने इस फ़ीस की कुल रकम को बढा-चढा कर 30 करोड़ से भी ऊपर पहुंचा दिया था। जिसे सोसायटी की अपील पर विभाग के ही एक वरिष्ठतम अधिकारी पी. राघवेंदर राव आईएएस ने न्यायोचित करके 12 करोड़ कर दिया था।

सोसायटी ने सरकार को रकम अदा करने के लिये अपने एक व्यापारिक स्थल को बेचने हेतु योजना बनाई जिस पर नगर निगम ने दादागिरी करते हुए रोक लगा दी, क्योंकि इस बिक्री से निगम के अधिकारियों व पार्षदों के रूप में बैठे लकड़बग्घों के पल्ले कुछ भी पड़नेवाला नहीं था।

सोसायटी के योजनानुसार खुली नीलामी के द्वारा भूखंडों (दुकानों) की नीलामी की जायेगी जो निगम अधिकारियों

शेष पेज दो पर

ऐसा कोई बैंक नहीं, एसआरएस ने जिसको ठगा नहीं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद के एसआरएस महाघोटाले की जांच में मजदूर मोर्चा को कुछ ताजा जानकारियां मिली हैं। तथ्यों की पड़ताल बताती है कि एसआरएस की शेल (फर्जी) और असली कंपनियों में लगे हुए सरकारी और प्राइवेटों का लगभग 708 हजार करोड़ रुपये डूबने की कगार पर हैं। खास बात यह है कि कुछ बैंकों के पास तो एसआरएस की कई कंपनियों के खाते अभी भी एक्टिव यानी उनमें लेनदेन का ट्रांजैक्शन जारी है। अनिल जिंदल अपने पूरे खानदान के पार्टनरों व खासमखास लोगों के साथ फरीदाबाद छोड़कर गायब है।

एसआरएस की बैंकों में एक्टिव कंपनियां

अगराज मार्केटिंग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 लाख का लोन दिया हुआ है। 2005 का लोन है। चुकता नहीं हो पाया है।

भव्य फॉरेक्स डीलर्स को पंजाब नैशनल बैंक ने 2015 में दो लाख, बिगजोस इन्फ्राएस्टेट को आदित्य बिड़ला ने 2017 में एक करोड़ 6 लाख, बीटीएल होल्डिंग कंपनी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2015 में 11 करोड़ 50 लाख, इडेन इन्फ्राएस्टेट को पंजाब सिंध बैंक ने 2008 में 7 करोड़ 22 लाख, जीजीएस स्टील एंड स्ट्रिप्स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2008 में 48 लाख, होरिजॉन ग्लोबल को सिंडीकेट बैंक ने 2017 में 70 लाख, आइकॉन रबर प्रोडक्ट्स को कोटक महेंद्रा बैंक ने 2017 में 41 लाख, जेबी डेकॉर को इंडियन ओवरसीज बैंक ने 2011 में 11 लाख 75, मंशा बिल्डकॉन को रिलायंस होम फाइनैंस लिमिटेड ने 2016 में 3 करोड़, मंशा रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड को पंजाब नैशनल बैंक ने 2014 में 35 करोड़, मावेन रबर प्रोडक्ट्स को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने 2016 में 7 लाख 50 हजार, प्रीमियर इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि. को सिंडीकेट बैंक ने 2011 में 6 करोड़ 24 लाख, प्रीमियर वर्ल्डवाइड को पंजाब नैशनल बैंक ने 2013 में 1 करोड़, रजत फिनकैप को आंध्र बैंक ने 2004 में दस लाख, संपूर्ण नैचुरल रिसोर्सेज को बैंक आफ इंडिया ने 2014 में 23 लाख 80 हजार, सतमाया ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को यूनियन बैंक आफ इंडिया ने 2015 में 2 करोड़ लाख, श्रीअष्टविनायक जेम्स एंड स्टोन्स को कॉरपोरेशन बैंक ने 2014 में 10 करोड़, श्रीराम कास्टेक को कोटक महेंद्रा बैंक ने 2014 में 4 करोड़ 90 लाख, स्पैन फोर्जिंग प्रा लि को सिंडीकेट बैंक ने 2011 में 45 लाख, एसआरपी बिल्डर्स प्रा लि को पंजाब एंड सिंध बैंक ने 2009 में 4 करोड़, एसआरएस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कंसोर्टियम ने 2015 में 11 करोड़ 50 लाख, एसआरएस फाइनैंस लिमिटेड को कर्नाटक बैंक ने 2015 में 10 करोड़, एसआरएस हेल्थ सेंटर एंड रिसर्च सेंटर को स्टेट बैंक आफ इंडिया लीड कंसोर्टियम 2015 में 11 करोड़ 50 लाख, एसआरएस लिमिटेड को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक ने 2014 में 82 करोड़ 50 लाख, एसआरएस मेडीटेक को दीवान हाउसिंग फाइनैंस ने 2017 में 1 करोड़ 86 लाख, एसआरएस मॉर्डन सेल्स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2014 में 3 करोड़ 75 लाख, एसआरएस रियल एस्टेट को एलआईसी हाउसिंग एंड फाइनैंस ने 20016 में 14 करोड़, एसआरएस रिट्रीट

शेष पेज दो पर